संख्या-69/2022/001-683/23-10-22-10-ब-2017

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग ,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः 17अगस्त, 2022**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अनुदान सं0-57 राजस्व मद के अंतर्गत आयोजननेत्तर कार्यो हेतु आय-व्ययक में स्वीकृत धनराशि को प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-721(i)/राजस्व मद(पान्टून सेतु)/सेतु6/2022-23,दिनांक 28.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुदान सं0-57 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजनेत्तर कार्यों हेतु प्रदेश के नावों के पुल और नौघाट के अनुरक्षण व मरम्मत हेतु रू0 2000.00 लाख तथा प्रदेश के पुलों के अनुरक्षण व मरम्मत हेतु रू0 3333.33 लाख अर्थात् कुल रू0 5333.33 लाख की धनराशि प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अनुदान सं0-57 राजस्व मद के अंतर्गत आयोजनेत्तर कार्यो हेतु लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत** कुल धनराशि 0 53.3333 करोड़ (रूपये तिरपन करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को निम्नविवरणानुसार/ शर्तों के अधीन वित्तीय व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रं0 सं0	योजना का नाम	आयोजनेत्तर कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में स्वीकृत धनराशि, जो प्रमुख अभियन्ता के निवर्तन पर रखी जानी है		
		वर्ष 2022-23 में लेखानुदान के अंतर्गत शासनादेश सं0-42/2022/212/23-10-21-10(ब)/2017 दि0 21.04.2022 द्वारा प्रमुख अभियंता के निवर्तन पर रखी जा चुकी धनराशि	वर्तमान में प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि	योग (स्तम्भ 3+4)
1	2	3	4	5
राजस्व लेखा				
1-	3054-सड़क तथा सेतु 04-जिला तथा अन्य सड़के 800-अन्य व्यय 03-नावों के पुल और नौघाट 29- अनुरक्षण	1000.00	2000.00	3000.00
2-	3054-सड़क तथा सेतु 04-जिला तथा अन्य सड़के 800-अन्य व्यय	1666.67	3333.33	5000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	04-पुलों का अनुरक्षण एवं मरम्मत 29- अनुरक्षण			
	योगः - (राजस्व लेखा)	**2666.67**	**5333.33**	**8000.00**

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(3) केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के संबंध में कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 20,00,00,000(रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखाशीर्षक 3054048000300 नावों के पुल और नौघाट मानक मद 29 अनुरक्षण (2) रुपये 33,33,33,000(रुपये तैंतीस करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-यक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 3054048000400 पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-69/2022/001-683/23-10-22-10-ब-2017, तददिनांक ।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।
5- नियोजन अनुभाग-4,
6- लोक निर्माण अनुभाग-1 / गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in